



## पुलिस कमिश्नर व डीएम ने परखी चुनाव की तैयारी

● आगामी लोकसभा  
चुनावों के लिए फूल मंडी  
स्थित स्ट्रांग रुग्न का  
किया निरीक्षण

पायनियर समाचार सेवा | नोएडा



आगामी लोकसभा चुनावों के लिए शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर और जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में फूल मंडी नोएडा फेस 2 में सभी वैधानिकों को परखा गया साथ ही बैठक निर्देश दिए गए।

इसमें एकाधिकारी बबलू तूपारा, उपजिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार, अपर जिला अधिकारी प्रशासन डॉक्टर नितिन मदन आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पुलिस कमिश्नर एवं जिला निर्वाचन

मतगणना स्थल का स्थलीय पुलिस कमिश्नर एवं जिला निर्वाचन

## 50 गाड़ियों के साथ खुली जीप में निकले सपा प्रत्यार्थी, आवार सहित उल्लंघन का केस दर्ज

पायनियर समाचार सेवा | नोएडा

### ● डीएनडीए पर गीड़ के चलते लोगों को हुई परेशानी

गौतमबुद्ध नगर में सपा प्रत्यार्थी राहुल अवाना के खिलाफ आवार सहित उल्लंघन का केस दर्ज हो गया है। 18 लोगों के खिलाफ नामजद एक आईआर हुई है। इस घटना में

तरफ समर्थक मौजूद हैं। वे मोबाइल से इसका विडियो बना रहे हैं। डीएनडीए पहचंने पर उनका स्वागत किया गया। इस घटना में सपा प्रत्यार्थी भी राहुल अवाना के खिलाफ नामजद एक आईआर हुई है। इसमें एकाधिकारी द्वारा संविधान अधिकारी निर्वाचन आयोग के मानकों के दौरान उन्होंने जिले के तीनों अनुच्छ प सभी व्यवस्थाएं समय पूरी विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए की जाए। इसके बाद फूल मंडी अलग अलग स्ट्रांग रुम का भी नोएडा फेस 2 में बनाए गए स्ट्रांग रुम, मतगणना स्थल का स्थलीय पुलिस कमिश्नर एवं जिला निर्वाचन

मतगणना स्थल का स्थलीय पुलिस कमिश्नर एवं जिला निर्वाचन

### सांकेतिक कब्जे की सूचना

शाखा कार्यालय: आई सी आई बैंक लि., लैंडमार्क विल्डिंग, चौथी मंजिल, 228ए, पूर्णी बांस रोड कलकत्ता-700020, L6190GJ99PLC021012, www.icicibank.com

जबकि अधोलिखासारी ने विशेष परिसंपत्तियों के प्रतिविकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमूलिकता हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन आई सी आई बैंक लि. का प्राप्तिविकरण अधिकारी होने के नाते वापर प्रतिमूलिकता हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पांचवीं धारा 13(12) के अधीन प्रत्यावर्ती विधियों को माँग सूचना देते हुए उन्हें सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति मूलतान करने को कहा गया।

कर्जदार राशि का प्रतिमूलतान करने के अंदर सूचना देते हुए उन्हें अन्यथा विधियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित कर्जदारों को माँग सूचनां निर्माण की थी, जिसमें उक्त अन्यथा विधियों का कानूनी नियमित विवरण दिया गया। विशेष सभी कानूनी विधियों के साथ उक्त अन्यथा विधियों के उपयोग करते हुए उक्त अन्यथा विधियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित कर्जदारों को माँग सूचनां निर्माण की थी, जिसमें उक्त अन्यथा विधियों की तिथि दिया गया है। अतएव एतद्वारा कर्जदार तथा जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए संचरित का साथ कोई भी स्वतंत्र राशि तथा उस पर आगे व्याप हुए आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभाव के अधीन होना।

क्र. संख्या	कर्जदार का नाम/ऋण खाता नं.	संपत्ति का विवरण/सांकेतिक कब्जे की तिथि	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना में राशि (₹.)	शाखा का नाम
1.	खेल बैंक/ राज राणी/ LBGH200005640306/LBGH200005679653	गूगिट नं. एमजे./सी-1006, 6वीं मंजिल, टॉवर नंबर बी, महक जीवन, एसएस-58, राज नगर एसएसएन, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद-201001, (पुराने परियोग की क्षेत्रफल लगानी 70,056 रु. मी. (807.94 कर्ण फॉट) निर्मित क्षेत्रफल 62,069 वर्ग. मी. (668.12 कर्ण फॉट) और पुराने परियोग की क्षेत्रफल 50 से अधिक गाड़ियां थीं। शाखा की गाड़ियां काफ़ी राशि दर्ज है। गाड़ियों का संज्ञान लेकर केस दर्ज कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने आवार की संज्ञान लेकर केस दर्ज कर दिया। उसके बाद इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को दे दी।	नवंबर 29, 2023 रु. 54,144/-	गाजियाबाद

उपर्युक्त उपरकालीनों/गारंटी को राशि खुली जीप के लिए का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा व्यंग रखी गई संपत्ति को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अंदर प्रतिमूलिकता हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार बेच दिया जाएगा।

दिनांक : मार्च 22, 2024  
स्थान : दिल्ली / एनसीआर

### सांकेतिक कब्जे की सूचना

शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, प्लॉट नंबर- 23, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005

जबकि अधोलिखासारी ने विशेष परिसंपत्तियों के प्रतिविकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिमूलिकता हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के अंतर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राप्तिविकरण अधिकारी के लाए गए विधियों को माँग सूचनां निर्माण की थी, जिसमें उक्त अन्यथा विधियों की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि करने के लिए दिया गया है। अतएव एतद्वारा कर्जदार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोलिखासारी ने इसमें एकाधिकारी द्वारा सांकेतिक अधिकारी की धारा 13(4) के नियम 8 से साथ पांचवीं धारा 13(12) के अधीन प्रत्यावर्ती विधियों की धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संचित तथा अधिनियम की तिथि दिया गया है। एतद्वारा विवेष रुप से कर्जदार तथा जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए संचरित का साथ कोई भी स्वतंत्र राशि तथा उस पर आगे व्याप हुए आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभाव के अधीन होना।

क्र. संख्या	कर्जदार का नाम/ऋण खाता नं.	संपत्ति का विवरण/सांकेतिक कब्जे की तिथि	दिमांड नोटिस की तिथि/दिमांड नोटिस में राशि (₹.)	शाखा का नाम
1.	वैष्णव कंसल्टंस/ राज राणी/ LBGH200005640306/LBGH200005679653	फलेट नंबर एमजे./ए-1105, 11वीं मंजिल, टॉवर नंबर बी, महक जीवन, एसएस-58, राज नगर एसएसएन, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद-201003/ मार्च 21, 2024	नवंबर 23, 2023 रु. 15,33,396/-	दिल्ली/एनसीआर
2.	निजु चौधरी/ एनसीआई/रोडरोडी/ LBGH200002084925/LBGH200002084928	फलेट नंबर एमजे./ए-1009, 11वीं मंजिल, महक जीवन नंबर 21, वार्ड नंबर 0570, वरदान एसएसएन, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद-201001/ मार्च 21, 2024	नवंबर 01, 2023 रु. 32,71,398/-	दिल्ली/एनसीआर

उपरोक्त दर्शाएं गर कर्जदार/सह-कर्जदार/सह-कर्जदारों को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का प्रतिमूलतान करने में विलम रहे हैं, अतएव एतद्वारा कर्जदार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संचित तथा अधिनियम की तिथि दिया गया है। एतद्वारा विवेष रुप से कर्जदार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए संचरित का साथ कोई भी स्वतंत्र राशि तथा उस पर आगे व्याप हुए आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभाव के अधीन होना।

क्र. संख्या	कर्जदार का नाम/ऋण खाता नं.	संपत्ति का विवरण/सांकेतिक कब्जे की तिथि	दिमांड नोटिस की तिथि/दिमांड नोटिस में राशि (₹.)	शाखा का नाम
1.	अमित पांडे/सुरुषा पांडे/ LBDE00005769325	प्लॉट नंबर 151, ब्लॉक-एफ, सेक्टर-9, अवार एवं कार्जदारी की वार्षा, रोडरोडी, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201009/ मार्च 21, 2024	दिसंबर 05, 2023 रु. 22,62,875/-	दिल्ली/एनसीआर

उपरोक्त दर्शाएं गर कर्जदार/सह-कर्जदार एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सूचना के प्रकाशन से 30 दिनों के अंदर राशि का प्रतिमूलतान करने में विलम रहे हैं, अतएव एतद्वारा कर्जदार तथा



















